फर्द अहकाम

(नियम 20)

अजमेर

मुकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... बनाम दयाल व अन्य..

श्री प्रेम तंवर व अन्य

किस्म मुकदमा 53,88,188, नम्बर 99 / 2015......सन् ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.11.2017	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 14 व 20 के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक उपस्थित । वादीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित। प्रतिवादी सख्या 14 व 20 के अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 20.10.2015 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 08.03.2016 की पालना में आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 4, 9, 10, 11/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 5/1, 5/2 की प्रोपर तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 8.03.2016 के पश्चात लगभग एक वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग 6 अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 8.03.2016,15.3.16, 30.3.17, 25.4.17 व 17.7.2017 की पालना नही कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 17.7.2017 को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके बावजूद भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है ना ही नियमित रूप से जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रतिवादी संख्या 14 व 20 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 8.03.16 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 17.7.17 के बावजूद लगभग 5 अवसर प्राप्त किए जाने एवं एक वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही वादीगण एवं उनके अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के बाबत उपस्थित हो रहे है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानो	

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

	के **तहत** उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर उप खण्ड अधिकारी अजमेर	